FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0261   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 04/10/2025 19:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 29/09/2025   Date To (दिनांक तक): 02/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 16:00 बजे   Time To (समय तक): 14:02 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/10/2025   Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 04/10/2025 19:06:26 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 67 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICAE

(b)Address(पता): POLICE THANA PHULERA, JILA JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RANVEER

(b) Father's Name (पिता का नाम): VIMAL KUMAR

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1998 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GORDHANPURA, PHULERA, PHULERA(JAIPUR RURAL), JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GORDHANPURA, PHULERA, PHULERA(JAIPUR RURAL), JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHANDRA PRAKESH		पिता:RAMLAL	1. JANWALI,PEEPLU,झिराणा, TONK,RAJASTHAN,INDIA
2	HAIPPY MATHUR		पिता:LET.SHAM BIAHARI MATHUR	1. 66-K,SHAYAM NAGAR,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि मन् पुलिस निरीक्षक राजकुमार शर्मा को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया और वहां पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुए बताया कि ये परिवादी है तथा इनसें कोई पुलिस थाना फुलेरा के सीएलजी सदस्य श्री हैप्पी माथुर प्राईवेट व्यक्ति फुलेरा थानाधिकारी चन्द्रप्रकाश के नाम से रिश्वत मांग रहा है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक उक्त व्यक्ति को अपने साथ लेते हुए अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा उक्त व्यक्ति से अपना-अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रणवीर पुत्र विमल कुमार निवासी गोरधनपुरा फुलेरा जिला जयपुर पुलिस थाना फुलेरा मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया व परिवादी श्री रणवीर ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेवामें, श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक ACB जयपुर (ग्रामीण) विषयः-रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडाने बाबत महोदय, निवेदन है कि मै ग्राम फुलेरा में रहता हॅू हम दो भाई है जिसमें मेरे छोटे भाई का नाम हिमांशु सार्दुल है। मेरे छोटे भाई का एक दोस्त समीर प्रजापत को दिनांक 26.09.2025 को पुलिस थाना फुलेरा के साईबर फ्राड के मामले में बुलाया था जहां पर सुनील प्रजापत को एक रात के लिये थाने में हवालात के अन्दर बंद करके रखा है। अगले दिन मेरे पास पुलिस थाना फुलेरा से मोबाईल नं. [redacted] से मेरे मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल आया और कॉल करने वाले ने अपना नाम विश्वेन्द्र कॉस्टेबल बताया और कहा की आप थाने पर आजाओ जिस पर मै पुलिस थाना फुलेरा पर गया जहॉ पर मुझे विश्वेन्द्र सिपाही मिला जिसने मुझे फुलेरा थाना इंचार्ज चन्द्रप्रकाश से मिलवाया जहा पर इंचार्ज ने मुझसे कहॉ की हिमांशु सार्दुल आपका भाई है क्या जिस पर मैने कहा की हॉ सर तो इंचार्ज ने सीधे ही कहॉ की तेरा भाई साईबर ठगी करता है। और उसका दोस्त सुनील प्रजापत तो हवालात में बंद है और उसी ने तुम्हारे भाई का नाम लिया है। अगर आपके भाई को पुलिस थाने में बंद होने से बचाना चाहते हो तो 01 लाख रूपये दो नही तो आपके भाई को बंद कर देंगें पुलिस थाने में। और बाकी बात श्री हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य से बात कर लो फिर जिस पर हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य से मिला तो कहा की 01 लाख रूपये इंचार्ज साहब लेगें इस पर मैने हैप्पी माथुर से पूछा की मेरे भाई के नाम कोई एफआईआर या शिकायत है क्या तो उन्होने कहा की साईबर का मामला है मेरे भाई द्वारा कोई भी साइबर ठगी नही की है। और पुलिस थाना इंचार्ज फुलेरा चन्द्रप्रकाश तथा हैप्पी माथुर मेरे भाई को बेवजह थाने में बंद करने की धमकी देकर 01 लाख रूपये की रिश्वत इंचार्ज के नाम मांग रहे है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजीद दरयाफत से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन होने पर तदनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। कार्यालय में पदस्थापित श्री बन्नाराम, कानि. 137 को कार्यालय से तलब कर परिवादी श्री रणवीर से आपसी परिचय करवाया जाकर कार्यालय की आलमारी में से एक विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सोनी एवं एक नया माईक्रो एसडी 32 जीबी कार्ड मंगवाये जाकर और परिवादी श्री रणवीर को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाकर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में एक नया माईक्रो एसडी कार्ड 32 जीबी डालकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर परिवादी श्री रणवीर को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई तथा श्री बन्नाराम, कानि. 137 को मुनासिब हिदायत की गई वह परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायें। परिवादी श्री रणवीर श्री बन्नाराम के साथ परिवादी की कार से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री रणवीर व श्री बन्नाराम कानि. 137 डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड के साथ आरोपी से गोपनीय सत्यापन वार्ता करने रवाना फुलेरा हुये परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होने पर कानि. बन्नाराम के साथ उपस्थित कार्यालय आवें। बन्नाराम कानि. ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया की हम फुलेरा पहुचं गये है जिस पर मैने बन्नाराम को कहा की अभी रात्रि का समय हो गया है। रात्रि को आप यही रूको कल सुबह परिवादी को मांग सत्यापन वार्ता हेतु आरोपी के पास भिजवाने की मुनासिब हिदायत दी। दिनांक 30.09.2025 को 11.21 एएम बन्नाराम कानि. ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया की अभी थाने से परिवादी के फोन पर फोन आया उन्होने परिवादी को थाने पर बुलाया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी को थाने पर मांग सत्यापन वार्ता हेतु भिजवाने के निर्देश दिये गये। बन्नाराम कानि. ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया की परिवादी को वार्ता करने

हेतु थाने भिजवाया था परिवादी थाने मे गया तो थाना इंचार्ज मिला परन्तु उन्होने परिवादी को शाम को बुलाया है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्नाराम को हिदायत देकर शाम को वार्ता करने हेतु परिवादी को भिजवाने के निर्देश दिये गये। बन्नाराम कानि. ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया की मैने दो-तीन बार परिवादी को थाने में भिजवाया परन्तु थाना इंचार्ज से कोई वार्ता नही हो पाई परिवादी को हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य मिला था जिसने कहा था की अभी तो जाने के लिये मना किया है। कल सुबह इंचार्ज से मिलवा दूंगा और तेरा काम करवा दूंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने रात्रि मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी। दिनाक 01.10.2025 को समय 04.44 पीएम पर बन्नाराम कानि. ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी की आरोपी हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य दलाल से वार्ता हुई जिस पर दलाल ने 70,000/- रूपये इंचार्ज को देने की सहमति दी है व 20,000/-रू परिवादी ने सत्यापन के दौरान आरोपी हैप्पी माथुर दलाल को दे दिये है। शेष 50,000/-रू कल इंचार्ज को देने के लिये कहाँ है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री बन्नाराम कानि. व परिवादी को एसीबी कार्यालय जयपुर में आने के लिये मुनासिब हिदायत दी गई। हालात उच्चाधिकारियों को जरिये मोबाईल टेलिफोन अर्ज किये गये। जिनके निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. जयपुर नगर द्वितीय को निवेदन किया गया, जिन्होंने उनके कार्यालय द्वारा पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 02.10.2025 को सुबह कार्यालय ए.सी.बी. चौकी जयपुर ग्रामीण में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया। परिवादी श्री रणवीर व बन्नाराम कानि. बाद सत्यापन कार्यवाही मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुये। बन्नाराम कानि. ने बताया कि हम दिनांक 29.9.2025 को ए.सी.बी. चौकी से रवाना होकर फुलेरा पहुंचे, रात्रि का समय होने के कारण रात्रि में फुलेरा ही मुकीम रहे। आज दिनांक को परिवादी को डिवाइस देकर आरोपी हैप्पी माथुर सी.एल.जी. सदस्य के पास भेजा गया। परिवादी ने वापस आकर बताया कि मेरी हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य से वार्ता हुई जिस पर हैप्पी ने ने 70,000/- रूपये इंचार्ज को देने व सारा मामला निपटाने की सहमति दी है। परिवादी ने बन्नाराम कानि. को सत्यापन के दौरान आकर बताया कि सत्यापन की कार्यवाही के बाद जब हैप्पी मुझे बाजार में मिला और मुझे अपनी मोबाईल की दुकान पर ले गया तथा रिश्वत राशि फटाफट देने ज्यादा दबाव बनाया तो अचानक जल्दी बाजी के कारण मैं डिवाइस चालू नहीं कर पाया और हैप्पी ने दुकान में मुझसे इंचार्ज साहब को देने के लिये 20,000/-रू ले लिये। शेष 50,000/-रू कल इंचार्ज को आमने सामने देने की सहमति दी है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने डिवाइस रिकार्ड में हुई रिकार्डिंग को चलाकर सरसरी तौर से सुना तो मांग सत्यापन वार्ता मे बीस हजार रूपये देते समय की रिकार्डिंग के अलावा अन्य रिकार्डिगस मे मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी है। डिवाइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। मांग सत्यापन की फर्द ट्रासंक्रिप्ट पृथक से स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में तैयार की जायेगी । परिवादी रात्रि मुकिम रहा। दिनांक 02.10.2025 समय 07.10 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री गिरिराज शर्मा कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आवासीय अभियंता खण्ड 12 राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर श्री मयंक टांक, वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियंता जयपुर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित कार्यालय आये जिनको अब तक की कार्यवाही व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया व कार्यवाही में बतोर गवाह रहने की सहमती प्राप्त की गई व दोनो के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री मयंक टांक, वरिष्ठ सहायक व श्री गिरिराज शर्मा कनिष्ठ लेखाकार के समक्ष परिवादी श्री रणवीर ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री रणवीर ने अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल 50,000/-रूपये प्रस्तुत किए नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किया गया उक्त राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोट राशि कुल 50,000 रिश्वत राशि के रूप में देने का निर्णय लिया गया। उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को सुपुर्द किये जाने है। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000/-रूपये के नोटों पर श्री रणजीत कानि. से अच्छी तरह से फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मयंक टांक से लिवाई गई तो परिवादी रणवीर के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक समान नही मिला है मोबाईल फोन परिवादी के पास छोडा गया तथा फिनोफ्थेलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि श्री रणजीत कानि. से परिवादी की पहनी हुई लोवर की दाहिनी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त पाउडर युक्त नोटो की थैई को आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसको रिश्वत के रूप में देवें उससे पूर्व इनको हाथ नहीं लगावे तथा किसी भी सूरत में आरोपी से हाथ नहीं मिलावें, केवल हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिवादी को अपने सिर पर हाथ फेरकर या परिस्थिति अनुसार अपने मोबाईल नम्बर से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं0 [redacted] पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वती राशि लेकर कहां रखता है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे तथा स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वह परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली आपसी रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही एवं वार्ता को सुनने व रिश्वती राशि के लेन देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी रणवीर को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर

समझाने के लिए ट्रेप बाक्स मे रखे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री रणजीत कानि. के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान, परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों व अखबार पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री रणजीत कानि. से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी को वापस बैग मे रखवाया जाकर श्री रणजीत कानि. के हाथों को तथा गिलास को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं अपनी एवं स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से धोकर साफ किया। सभी को मुनासिब हिदायत दी परिवादी रणवीर को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय पूर्व से काम लिया जा रहा है माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर सुपूर्द किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाली कांच की शिशीयों व उनके ढक्कनो को भी अच्छी तरह धोकर साफ करवाने के बाद सुखाकर ट्रेप बॉक्स में रखा गया। श्री रणजीत को मुनासिब हिदायत देकर चौकी पर छोड़ा गया। समय 09.05 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक राजकुमार शर्मा व स्वतंत्र गवाह श्री मयंक टांक, श्री गिरिराज शर्मा व परिवादी श्री रणवीर अपने निजी वाहन से व ब्यूरो स्टाफ के श्री सुभाषचन्द्र उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश हैड कानि. 133, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 68, श्री होशियार सिंह कानि. 80, श्री बन्नाराम कानि. 137, श्रीमति रजनी मकानि. 127, श्री विक्रम, कनिष्ठ सहायक ट्रैप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर सरकारी वाहन टवेरा मय चालक कानि. श्री शोभाराम के व श्री सुनिल सिंहाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वास्ते मार्गदर्शन हेतु कार्यवाही में जरिये सरकारी वाहन चालक श्री रमेश कुमार वास्ते ट्रैप कार्यवाही हेतु फुलेरा रवाना हुए। मन पुलिस निरीक्षक राजकुमार शर्मा व स्वतंत्र गवाह श्री मयंक टांक, श्री गिरिराज शर्मा व परिवादी श्री रणवीर अपने निजी वाहन से व ब्यूरो स्टाफ के श्री सुभाषचन्द्र उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश हैड कानि. 133, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 68, श्री होशियार सिंह कानि. 80, श्री बन्नाराम कानि. 137, श्रीमति रजनी मकानि. 127, श्री विक्रम, कनिष्ठ सहायक ट्रैप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर सरकारी वाहन टवेरा मय चालक कानि. श्री शोभाराम के व श्री सुनिल सिंहाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वास्ते मार्गदर्शन हेतु कार्यवाही में जरिये सरकारी वाहन चालक श्री रमेश कुमार वास्ते ट्रैप कार्यवाही हेतु फुलेरा पहुंच वाहनो को साइड में रूकवाकर परिवादी को अपने निजी वाहन से बन्नाराम कानि. के साथ वार्ता करने हेतु परिवादी को पुलिस थाना फुलेरा रवाना किया। हम सभी ट्रेप पार्टी सदस्य भी पीछे-पीछे पुलिस थाना फुलेरा के आस-पास पहुंच परिवादी के तय ईशारे मे मुकिम हुये। समय 02.10 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक को मय हमराहीयान समय करीब 02.02 पीएम पर परिवादी का मुकर्र ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ एवं श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी जयपुर ग्रामीण को साथ लेते हुये परिवादी के पास पहूंचा तो परिवादी पुलिस थाना फुलेरा के गेट के आगे मिला जिससे सरकारी डिवाईस प्राप्त कर पूछा तो उसने बताया की मैं पहले हैप्पी माथुर, सीएलजी सदस्य से मिला तो उसने मुझे पुलिस थाना फुलेरा में एसएचओ साहब के पास भेजा और कहा की मै आ रहा हू॑ जिस पर मै पुलिस थाना फुलेरा में पहुंचा व हैप्पी माथुर का इंतजार करने लगा हैप्पी माथुर पुलिस थाने में आने पर मै हैप्पी माथुर के साथ पुलिस थाना इंचार्ज श्री चन्द्र प्रकाश के चैम्बर में मिला तो चन्द्र प्रकाश थानाधिकारी ने मुझे कहॉ की आप कौन हो तब मैने कहा की मे रणवीर हू पास में खडे हैप्पी माथुर ने बताया की मै इनको लेकर आया हॅू रणवीर का भाई हिमांश सार्दुल का जो साईबर फ्राड के मामले में बातचीत करने लाया हू॑ जिस पर मैने इंचार्ज साहब को कहा की मेरे भाई के साइबर फ्राड के मामले में कोई कार्यवाही नही करने हेतु हैप्पी माथुर ने आपके नाम से 70,000/-रू मांगे थे जिस पर मैने कल दिनांक 01.10.2025 को 20,000/-रू दे दिये थे। 50,000/-रू आज लाया हू॑। जिस पर थानाधिकारी ने मुझे कहा की 01 लाख रूपये की बात हुई थी 70,000/- रू क्यों 30,000/-रू का मै हैप्पी माथूर से पूछूगां। फिर थानाधिकारी ने पैसे हैप्पी माथुर को देने के लिये कहा तो मैने पाउडर लगी रिश्वती पांच-पांच सौ रूपये के नोट हैप्पी माथुर को दिये हैप्पी माथुर ने अपने दाहिने हाथ से रिश्वत राशि लेकर दोने हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की पीछे की बाई जेब में रख लिये उसके बाद परिवादी को मन् पुलिस निरीक्षक साथ लेता हुआ थानाधिकारी कक्ष में पहुचां तो सामने की कुर्सी पर पुलिस निरीक्षक की वर्दी में एक व्यक्ति बैठा मिला व थानाधिकारी के टेबल के पास में एक व्यक्ति खडा था परिवादी ने सामने की कुर्सी पर पुलिस निरीक्षक की वर्दी में बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की ये श्री चन्द्र प्रकाश थानाधिकारी फुलेरा है। इनके पास में खडे व्यक्ति श्री हैप्पी माथुर है। मैने अभी अभी थानाधिकारी के कहने पर पाउडर लगी रिश्वती राशि 50,000/-रू हैप्पी माथुर को दिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए पुलिस निरीक्षक की वर्दी में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चन्द्र प्रकाश, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया व रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो बताया की मुझे नही पता इसने किस बात के पैसे लिये है। पास में खडे परिवादी ने थानाधिकारी की बातो का खण्डन करते हुये कहा की साहब झूठ बोल रहे है। आज जब मे हैप्पी माथुर के साथ थानाधिकारी के चैम्बर में मिला तो मेरे भाई श्री हिमांशु सार्दुल

को साइबर फ्राड के मुकदमें में नही फसाने के संबंध में 01 लाख रूपये के लिये कहा था जिस पर मैने कहा की मुझे तो हैप्पी माथुर ने 70,000/-रू के लिये कहा था जो मैने कल दिनांक 01.10.2025 को दौराने सत्यापन 20,000/-रू दे दिये थें। बाकी 50,000/-रू आज श्री चन्द्र प्रकाश थानाधिकारी के कहने पर हैप्पी माथुर को दिये उसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी चन्द्र प्रकाश के पास खडे व्यक्ति को मेरा व ब्यूरो स्टाफ ट्रेप पार्टी का परिचय देते हुये उसका परिचय व परिवादी से रिश्वती राशि लेने के बारे में पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम श्री हैप्पी माथुर पुत्र स्व. श्री श्याम बिहारी माथुर जाति कायस्थ उम्र 38 निवासी मकान 66 के श्याम नगर फुलेरा जिला जयपुर व पुलिस थाना फुलेरा का सीएलजी सदस्य होना बताया व परिवादी से रिश्वती राशि लेने के बारे में बताया की रणवीर का भाई हिमांशु सार्दुल के खिलाफ साईबर फ्राड की शिकायत थाना इंचार्ज साहब फुलेरा के पास थी में इनके भाई के साइबर क्राइम की शिकायत में मदद करने थानाधिकारी चन्द्रप्रकाश के कहने पर 70,000/-रू मांगे थे जो 20,000/-रू रणवीर से कल दिनांक 01.10.2025 को लिये थे जिसके बारे में मन् पुलिस निरीक्षक ने पूछा तो बताया की मेरे मोबाईल की दुकान है कल मैने मोबाईल का भुगतान किया था उसमें मैने वो पैसे खर्च कर दिये। शेष 50,000/-रू मैने आज रणवीर से लिये जो आज मेने पहनी हुई जींस की पेंट की पीछे की बाई साईड की जेब में रखे है। रिश्वती राशि लेने की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी दलाल श्री हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य के बायें हाथ को श्री विक्रम, कनिष्ठ सहायक व दाहिने हाथ को श्री होशियार सिंह, कानि. से पकडवाये गये। तत्पश्चात् श्रीमति रजनी महिला कानि. से प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो प्लास्टिक डिसपोजल के गिलास निकलवाकर उन गिलासो को पुनः पानी से साफ करवाया जाकर दोनो गिलासो में प्लास्टिक बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा एक प्लास्टिक डिसपोजल के गिलास के घोल मे आरोपी दलाल श्री हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य के बाए हाथ व दाहिने हाथ को दोनो गिलासो में भरे सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धोवन लिया गया तो दोनो हाथो से प्राप्त धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो-दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी दलाल श्री हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य को रिश्वती राशि पेश करने पर आरोपी दलाल ने अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की पीछे की बाई जेब से पांच पांच सों के नोटो की थेई निकालकार पेश की जिनको स्वतंत्र गवाह श्री मंयक टांक को दिलवाये गये। तत्पशचात आरोपी दलाल हैप्पी माथुर की जींस की पेंट उतरवाकर लोवर मंगवाकर पहनाया गया। आरोपी श्री हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य की पेंट की जेब से बरामद रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाहा श्री मयंक टांक से गिनवाये गये तो भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सो के नोट 100 होना बताया कुल राशि 50,000/-रू बताया जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी नोट से दोनो स्वतंत्र गवाहो से नोटो के नबंरो का मिलान करवाया गया तो पूर्व में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नबंर हूबहू होना पाये गये जिनका विवरण फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण निम्नानूसार है। 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3HD 904831 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5SV 058630 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2SS 403461 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BP 141032 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1UG 566905 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1GA 083878 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KT 122527 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BE 248315 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0EB 610405 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0EB 610402 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2DK 942325 12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8LB 866999 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8MF 202866 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4DG 295457 15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7QR 268728 16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1WK 682929 17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AP 546106 18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5SW 768921 19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3AD 588039 20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9NP 457485 21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6DE 972558 22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1MP 178705 23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2KC 076729 24. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7TU 154081 25. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5LM 414683 26. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7DR 594254 27. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3HL 346381 28. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8FP 254809 29. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2US 154883 30. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1BB 389577 31. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3HS 886404 32. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5EV 739880 33. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BK 971857 34. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7AU 651966 35. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2FC 997917 36. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1TW 510130 37. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CF 499242 38. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0HV 513790 39. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2HV 353500 40. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7VD 783233 41. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1LB 827277 42. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4NB 859540 43. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3NB

190371 44. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9SC 173067 45. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5NF 814488 46. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8NL 236022 47. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9KS 639713 48. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7HA 189226 49. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7FE 933132 50. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0CE 960874 51. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7CT 671421 52. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9UH 337706 53. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7LN 964307 54. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0CQ 092678 55. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7CM 193328 56. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0NU 633007 57. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5CP 463108 58. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5FN 900210 59. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3FR 750928 60. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2BN 466165 61. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0TA 469122 62. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KG 975817 63. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8RV 303872 64. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6NU 415687 65. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GC 001175 66. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4GM 878367 67. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8NE 078061 68. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3PD 268741 69. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KR 865515 70. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5CD 964720 71. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1WL 460652 72. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4SW 349107 73. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7RM 778735 74. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3VW 548349 75. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8WG 706012 76. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6NE 304334 77. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5QW 741807 78. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1UT 882339 79. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2VA 897091 80. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0MC 715459 81. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1GL 452797 82. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5LK 554979 83. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8CT 474072 84. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2HM 788375 85. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0AP 329017 86. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7LP 653071 87. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4RU 925248 88. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2FN 979550 89. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2BU 745727 90. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3UD 103172 91. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9VF 649193 92. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5DG 494220 93. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BD 610881 94. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8PK 105422 95. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8EQ 287811 96. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1LB 310394 97. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8VH 892551 98. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GG 835208 99. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5NT 645674 100. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2EL 488516 उक्त 50,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त नोटो के नबरां को फर्द में अंकित किया गया। तत्पश्चात् श्री बन्नाराम कानि. के हाथ व ट्रेप बाक्स से एक प्लास्टिक के नये गिलास निकलवाकर साफ साबुन पानी से धुलवाये जाकर एक प्लास्टिक के गिलासों में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया गया उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी दलाल श्री हैप्पी माथुर की पहनी हुई जींस की पेंट की पीछे की बाई जेब में जिस में रिश्वती राशि बरामद हुई को उथल कर प्लास्टिक के गिलास में धुलवाई गई तो प्राप्त धोवन गहरा गुलाबी हो गया जिनको दो कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर व मार्क P-1, P-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी दलाल की जींस की पेंट बरंग नीली की पीछे की बायी जेब को सुखाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थेली में डालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर व सील चीट कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी के कार्य के बारे में थानाधिकारी से पूछने पर श्री चन्द्र प्रकाश थानाधिकारी फुलेरा से पूछा तो उन्होने बताया की मेरे थाने में साइबर क्राइम फ्राड का रणवीर के भाई के विरूद्ध कोई शिकायत या मुकदमा मेरे थाने में नही है। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता सुना गया तो उसमे रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिनकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। अब तक की कार्यवाही से श्री हैप्पी माथुर पुत्र स्व. श्री श्याम बिहारी माथुर जाति कायस्थ उम्र 38 निवासी मकान 66 के श्याम नगर फुलेरा जिला जयपुर ने परिवादी श्री रणवीर के भाई हिमांशु सार्दुल को साइबर फ्राड के प्रकरण में नही फंसाने की एवज में 70,000/-रू की श्री चन्द्र प्रकाश थानाधिकारी के कहने पर मांग करना मांग के अनुसरण में परिवादी से दौराने सत्यापन दिनांक 01.10.2025 को 20,000/-रू लेना व शेष रिश्वती राशि 50,000/- रू आज पुलिस थाना फुलेरा में थाने के स्वागत कक्ष में थानाधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश के कहने पर परिवादी से अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की बायी साईड की पीछे की जेब में रखना व रिश्वती राशि 50,000/-रू उसकी पहनी हुई पेंट की जेब से बरामद होना व आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रामलाल, उम्र 51 जाति यादव निवासी जँवाली तहसील पीपलू पुलिस थाना झिराणा जिला टोंक हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना

फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण ने मिली भगतकर षडयंत्र पूर्वक अपने दलाल हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य को रिश्वती राशि 50,000/- रूपये दिलाना व आरोपी दलाल श्री हैप्पी माथुर से रिश्वती राशि बरामद होने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रामलाल, उम्र 51 जाति यादव निवासी जेंवाली तहसील पीपलू पुलिस थाना जिराणा जिला टोंक हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर व आरोपी दलाल श्री हैप्पी माथुर पुत्र स्व. श्री श्याम बिहारी माथुर जाति कायस्थ उम्र 38 निवासी मकान 66 के श्याम नगर फुलेरा जिला जयपुर को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार जायेगा। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली जायेगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में आरोपी दलाल के दोनो हाथो के धोवन शिल्ड शुदा शिशियां मार्क R-1, R-2, L-1, L-2, आरोपी दलाल की पहनी हुई जींस की पेंट की पीछे की बायी साईड की जेब के धोवन की शिल्ड शुदा शिशियां मार्क- P-1, P-2 एवं दलाल से बरामद रिश्वती राशि 50,000/- रूपये को बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मौके की कार्यवाही की विडियोग्राफी करवायी गयी जिसकी पृथक से जरिये फर्द डीवीडीयां तैयार की जाकर शील चीट की जायेगी। कार्यवाही मे जप्त किये गये आर्टिकल सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई ब्रास सील का नमूना फर्द पर निम्नानुसार अंकित किया गया। जिसकी फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रामलाल, उम्र 51 जाति यादव निवासी जेँवाली तहसील पीपलू पुलिस थाना झिराणा जिला टोंक हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण को उसके द्वारा किए गए अपराध धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से अवगत करवाते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री हैप्पी माथुर पुत्र स्व. श्री श्याम बिहारी माथुर जाति कायस्थ उम्र 38 निवासी मकान 66 के श्याम नगर फुलेरा जिला जयपुर को उसके द्वारा किए गए अपराध धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से अवगत करवाते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शामौका तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कर नक्शा मौका शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रामलाल, उम्र 51 जाति यादव निवासी जेंवाली तहसील पीपलू पुलिस थाना झिराणा जिला टोंक हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण का मोबाईल एपल आईफोन 15 कलर ब्लेक एक सीम [redacted] जिओ को जरीये फर्द जब्त किया गया था। जिसकी फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री हैप्पी माथुर पुत्र स्व. श्री श्याम बिहारी माथुर जाति कायस्थ उम्र 38 निवासी मकान 66 के श्याम नगर फुलेरा जिला जयपुर का मोबाईल वनप्लस 12 हरा कलर का एक सीम [redacted] जिओ को जरीये फर्द जब्त किया गया था। जिसकी फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। मांग सत्यापन वार्ता रूपान्तरण तैयार करते वक्त दिनांक 01.10.2025 को परिवादी श्री रणवीर संदिग्ध आरोपी श्री हैप्पी माथुर सीएलपी सदस्य प्राईवेट व्यक्ति के मध्य हुई वार्ता में उक्त वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी से सुन सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के पश्चात् विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लेपटॉप से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी से पांच अलग-अलग पेन ड्राइव में राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिप पेन ड्राइव में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर पांच पेन ड्राइव पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग पेन ड्राइव मार्क A-1 A-2 मार्क A-3 A-4(मुलजिम कॉपी), A-5(आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त पेन ड्राइव में से चार पेन ड्राइव मार्क A-1, A-2, A-3 व A-4(मुलजिम कॉपी) को अलग-अलग प्लास्टिक के कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व पेन ड्राइव अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। पेन ड्राइव मार्क A-1, A-2, A-3 व A-4(मुलजिम कॉपी) को सुरक्षित रखा गया। पेन ड्राइव मार्क A-5 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे माइक्रो एसडी SANDISK 32GB कार्ड को निकालकर एक कागज के लिफाफे में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर पैकेट को "SD" मार्का अंकित किया गया एवं सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त टंरास्क्रिप्ट मेरे निर्देशन में टै्रप कार्यवाही में विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द श्री बन्नाराम कानि. द्वारा टाईप करवायी गयी तथा पेन ड्राइव मार्क A-1 A-2 मार्क A-3 A-4(मुलजिम कॉपी), A-5(आईओ कॉपी) को राईट/बर्न करवायी गयी तथा उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एंव कांट छांट नही की गई है। उक्त रिकार्ड वार्ता से सम्बन्धित मैमोरी कार्ड व राईट/बर्न की गई पेन ड्राइव की हैश वैल्यू निकालकर फर्द में अंकित की गई। दर्ज रहे कि कि इस कार्यालय के पत्रांक एसपीएल-4 दिनांक 02.10.2025 के द्वारा पुलिस थाना फुलेरा मे ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री चन्द्र प्रकाश पुलिस निरीक्षक मय श्री सुनील प्रजापत निवासी महावीर कॉलोनी गोरधनपुरा के विरूद्ध की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही गई जो पुलिस थाना फुलेरा से एफआईआर नं. 273/2025 विरूद्ध सुनील प्रजापत के संबंधित प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। व आरोपीगणों का करवाया स्वास्थय परीक्षण करवाया गया व स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट

शामिल पत्रावली की गई। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य दोनो स्वतंत्र गवाह गिरफतारशुदा आरोपीगण श्री चन्द्र प्रकाश पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना फुलेरा व श्री हैप्पी माथुर, सीएलजी सदस्य (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) व प्रकरण के वजह सबूत, ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहनो चालक के बाद कार्यवाही फुलेरा थाने से ब्यूरो मुख्यालय जयपुर के लिये रवाना हुये। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य दोनो स्वतंत्र गवाह गिरफतारशुदा आरोपीगण श्री चन्द्र प्रकाश पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना फुलेरा व श्री हैप्पी माथुर, सीएलजी सदस्य (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के सरकारी वाहनों से एसीबी मुख्यालय जयपुर पहुंच माल वजह सबुत को रात्रि का समय हो जाने के कारण श्री ओमप्रकाश हैड कानि0 को सुपुर्द कर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी मे रखवाया गया व कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर को जिसमें वक्त लेनदेन वार्ता परिवादी व आरोपीगण की वार्ता रिकार्ड है। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट कल सुबह तैयार की जायेगी। डिजीटल वाईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने अलमारी में सुरक्षित रखवाई दोनो स्वतंत्र गवाहा कल सुबह दिनांक 03.10.2025 09 बजे कार्यालय में उपिस्थत आने हेतु भिजवाया गया। परिवादी को रात्रि मुकिम एसीबी कार्यालय में रखा। दिनांक 03.10.2025 समय 09.10 एएम पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मयंक टांक एवं श्री गिरिराज शर्मा उपस्थित कार्यालय आये परिवादी पूर्व से ही कार्यालय में उपस्थित है। दिनांक 02.10.2025 को ट्रेप कार्यवाही की वक्त लेनदेन की वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकार्ड की गई थी को कार्यालय की अलमारी से निकाला गया था की फर्द ट्रांसक्रिप्ट गवाहन व परिवादी की उपस्थिति में प्रारम्भ की गई। वक्त लेनदेन वार्ता रूपान्तरण तैयार करते वक्त दिनांक 02.10.2025 को परिवादी श्री रणवीर संदिग्ध आरोपी श्री हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य प्राईवेट व्यक्ति एवं आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना फुलेरा के मध्य हुई वार्ताओ में उक्त वार्ताओ की वाईस क्लिप को बारी-बारी से सुन सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के पश्चात् विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लेपटॉप से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी से पांच अलग-अलग पेन ड्राइव में राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिप पेन ड्राइव में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर पांच पेन ड्राइव पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग पेन ड्राइव मार्क B-1 B-2 मार्क B-3 B-4(मुलजिम कॉपी), B-5(आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त पेन ड्राइव में से चार पेन ड्राइव मार्क B-1 B-2 मार्क B-3 B-4(मुलजिम कॉपी), को अलग-अलग प्लास्टिक के कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व पेन ड्राइव अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। पेन ड्राइव मार्क B-1 B-2 मार्क B-3 B-4(मुलजिम कॉपी) को सुरक्षित रखा गया। पेन ड्राइव मार्क B-5 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे माइक्रो एसडी SANDISK 32GB कार्ड को निकालकर एक कागज के लिफाफे में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर पैकेट को "SD-1" मार्क अंकित किया गया एवं सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। लेन देन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में ट्रेप कार्यवाही में विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड हुई वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द श्री बन्नाराम कानि. द्वारा टाईप करवायी गयी तथा पेन ड्राइव मार्क B-1 B-2 मार्क B-3 B-4(मुलजिम कॉपी), B-5(आईओ कॉपी)को राईट/बर्न करवायी गयी तथा उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एंव कांट छांट नही की गई है। उक्त रिकार्ड वार्ता से सम्बन्धित मैमोरी कार्ड व राईट/बर्न की गई पेन ड्राइव की हैश वैल्यू निकालकर फर्द में अंकित की गई। इस समय परिवादी श्री रणवीर व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मयंक टांक व श्री गिरिराज शर्मा को रूख्सत किया गया। अब तक की कार्यवाही से श्री हैप्पी माथुर पुत्र स्व. श्री श्याम बिहारी माथुर जाति कायस्थ उम्र 38 निवासी मकान 66 के श्याम नगर फुलेरा जिला जयपुर ने परिवादी श्री रणवीर के भाई हिमांशु सार्दुल को साइबर फ्राड के प्रकरण में नही फंसाने की एवज में 70,000/-रू की श्री चन्द्र प्रकाश थानाधिकारी के कहने पर मांग करना मांग के अनुसरण में परिवादी से दौराने सत्यापन दिनांक 01.10.2025 को 20,000/-रू लेना व शेष रिश्वती राशि 50,000/- रू आज पुलिस थाना फुलेरा में थाने के स्वागत कक्ष में थानाधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश के कहने पर परिवादी से अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की बायी साईड की पीछे की जेब में रखना व रिश्वती राशि 50,000/-रू उसकी पहनी हुई पेंट की जेब से बरामद होना व आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रामलाल, उम्र 51 जाति यादव निवासी जैंवाली तहसील पीपलू पुलिस थाना झिराणा जिला टोंक हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण ने मिली भगतकर षडयंत्र पूर्वक अपने दलाल हैप्पी माथुर सीएलजी सदस्य को रिश्वती राशि 50,000/- रूपये दिलाना व आरोपी दलाल श्री हैप्पी माथुर से रिश्वती राशि बरामद होने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (राजकुमार शर्मा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।............ कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजकुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1-श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रामलाल, जाति यादव, उम्र 51 वर्ष, निवासी जैंवाली तहसील पीपलू पुलिस थाना झिराणा जिला टांक हाल पुलिस

निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर एवं 2. श्री हैप्पी माथुर पुत्र श्री स्व. श्याम बिहारी माथुर जाति कायस्थ उम्र 38 वर्ष निवासी मकान नं. 66-के श्यामनगर फुलेरा जिला जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर मीना, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 66 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1479-82 दिनांक 04.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या -1 जयपुर। 2.महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर, 3.-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर,4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ग्रामीण,जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ghyan Chand Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,In
Date: 0[illegible]/10/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				
2	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी वर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)